

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 167/2018

RCMS Case No. 2018/00200

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थी:-
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), रानी		1. बीजाराम पुत्र कुकाराम 2. हिम्मताराम पुत्र कुकाराम, जातिगण मेणा, निवासीगण गुड़ा एंदला, तहसील रानी जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

- श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
- अधिवक्ता अप्रार्थी श्री जगदीश प्रजापत

—:: आदेश ::—

दिनांक : 28/9/18

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रानी द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरुद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम नवागुड़ा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी में अप्रार्थीगण को उप जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक/पी.ए./1444-48 दिनांक 30.11.1998 के द्वारा खसरा नम्बर 25 में से रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा के नियम विरुद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसके बाद आवंटन ख.न. 25/8 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. बेरा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए गए। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम नवागुड़ा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 25/8 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो ख.न. 25 गैर मुमकिन नदी का भाग दर्ज थी। जिसमें से आवंटन उप जिला कलेक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक/पी.ए./1444-48 दिनांक 30.11.1998 के द्वारा किया गया है। उक्त भूमि की किस्म वक्त आवंटन गै.मु. नदी दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। उप जिला कलेक्टर पाली द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरुद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 15.07.1999 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरन्स फरमाया जावे।



अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के हक में किए गया आवंटन सही है। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र भूमि कृषि योग्य भूमि थी। जैर प्रार्थना पत्र आराजी डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित नहीं है। अप्रार्थीगण ने बाद आवंटन हजारों रुपये लगाकर कुआं खुदवाया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे एवं अप्रार्थी के खातेदारी के निरस्तिकरण हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार की बहस एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण के जवाब पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम नवागुड़ा, पटवार हल्का बालराई तहसील रानी जिला पाली के खसरा नम्बर 25/08 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. बेरा जो ख.न. 25 गैर मुमकिन नदी का भाग दर्ज थी। जिसमें से आवंटन अप्रार्थीगण को लीज पर उप जिला कलक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक/पी.ए./1444-48 दिनांक 30.11.1998 के द्वारा किया गया एवं उसकी पालना में तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 15.07.1999 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण बीजाराम व हिम्मताराम मैणा निवासी गुडा एन्दला को लीज होल्डर दर्ज किया गया था। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन विधि विरुद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से उप जिला कलक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक/पी.ए./1444-48 दिनांक 30.11.1998 की पालना में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 15.07.1999 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरूप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण बीजाराम व हिम्मताराम मैणा निवासी गुडा एन्दला तहसील रानी जिला पाली (राज.) के पक्ष में उप जिला कलक्टर, पाली द्वारा आदेश क्रमांक/पी.ए./1444-48 दिनांक 30.11.1998 द्वारा जो आवंटन किया गया उक्त आदेश एवं उसकी पालना में तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 524 दिनांक 15.07.1999 को निरस्त फरमाया जावे।



(भागीरथ बिश्नाई)
अति.जिला कलेक्टर, पाली